भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 888262

10 JUL 2018

26505

वार्ड – गोमती नगर

स्टाम्प – 500/– रूपये

## वेद एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

हम डा० अमरेश पुत्र स्व० वेद प्रकाश गुप्ता, निवासी 2/58, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ एवं डा० संतोष पाण्डेय पुत्र श्री श्रीकान्त पाण्डेय, निवासी-3/254, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, व्यवसाय सामाजिक सेवा (जो इस ट्रस्ट के संस्थापक न्यासीगण हैं)

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

Scanned by CamScanner

क्रम संख्या...... 8254 28/07/18

स्टाम्प विक्रेता की तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयो०

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूर्ण पता

स्टाम्प की धनराशि.........

हसन अली

लाइसेन्स नं० 239 लाइसेन्स की अवधि 31-03-2018

स्व० लखनऊ

**MANAGER**
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

**PRINCIPAL**
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

Scanned by CamScanner

हम इस न्यास विलेख पत्र के माध्यम से वेद एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट का गठन कर रहे हैं तथा आज दिनांक 28/07/2018 को न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) से उपरोक्त वर्णित न्यास की स्थापना की घोषणा करते हैं।

नाम - वेद एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

पता/कार्यालय - 2/58, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

कार्य क्षेत्र - सम्पूर्ण भारत वर्ष।

उपरोक्त ट्रस्ट की 10,000/- रूपये के अलावा कोई चल-अचल सम्पत्ति नहीं है।

न्यास के उद्देश्य :-

1. शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने हेतु हास्पिटल, स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, छात्रावास इत्यादि की स्थापना एवं उनका संचालन करना तथा विधि, कला, संगीत, विज्ञान, कला के अन्य क्षेत्र जैसे संगीत, नाटक, एकांकी व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित व इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहन करना तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोष की स्थापना करना, दान लेना व अनुदान प्राप्त करना।

2. छात्रों को शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिये छात्रवृत्ति मानदेय, पुरस्कार आदि का प्रबन्ध करना व स्कूल, कॉलेज व संस्थान में प्रशिक्षण, शोध व सेमीनार आदि आयोजित करना व विदेश में शिक्षा प्राप्ति हेतु सहयोग प्राप्त करना तथा इस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोष की स्थापना करना, दान लेना एवं अनुदान प्राप्त करना।

3 सभी लोगों के लिये प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की अंग्रेजी व हिन्दी माध्यम की शिक्षा हेतु यू0पी0 बोर्ड, आई0सी0एस0सी0, आई0एम0सी0, सी0बी0एस0सी0, पाठ्यक्रम के पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों व मेडिकल, इंजीनियरिंग, वाणिज्यिक, कला संस्कृत, पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों की स्थापना प्रबन्ध, संचालन व शिक्षा का प्रचार-प्रसार

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

Scanned by CamScanner

करना। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों व सवर्णों के लिये आई०ए०एस०, पी०सी०ए०, सी०पी०एम०टी०, डाक्टरी, इंजीनियरिंग आदि सभी परीक्षाओं की परीक्षा पूर्व कोचिंग, प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, क्राफ्ट कम्पयूटर, तकनीकी शिक्षा, मोटर टैक्सी ड्राइविंग स्टील उद्योग, प्रिन्टिंग मशीन आपरेटर, कम्पोजिंग बुक बाईंडिंग की प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, प्रबन्ध संचालन व शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। सरकार की सहायता से विज्ञान के क्षेत्र में समस्त कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना।

4 सभी प्रकार के विकलांगों जैसे शारीरिक मानसिक, मूक बधिर, नेत्रहीन एवं कुष्ठ रोग से विकलांगों हेतु शैक्षिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालयों की स्थापना संचालन करना एवं सहायक उपकरणों का क्रय वितरण कर निशक्त व्यक्तियों की सहायता योजना संचालित करना। सभी प्रकार के विकलांगों हेतु समस्त कल्याणकारी कार्य करना।

5. ग्रामीण गरीब और बीमार माताओं के बच्चों हेतु शिशु पालन केन्द्रों, बालबाड़ी केन्द्रों का संचालन करना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग व संवर्णों के बच्चों की शिक्षा हेतु आवासीय विद्यालयों की स्थापना तथा शिक्षित बेरोजगार एवं महिलाओं हेतु रोजागारोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था करना। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचिज जनजाति, पिछड़ी जाति, आदि के कल्याण के लिये सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों का संचालन करना।

6. भारत सरकार के मानव संसाधन विकास, कृषि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, रेल गृह, रसायन एवं उर्वरक, शहरी विकास, खनन, वित्त, लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग, जन जातीय मामले, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जहाजरानी, वस्त्र उद्योग, वाणिज्य एवं उद्योग विधि एवं न्याय, ऊर्जा, ग्राम विकास, संसदीय कार्य सूचना एवं प्रसारण खेलकूद, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पंचायती राज, युवा कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर्यावरण एवं वन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक

मनोज पाठक

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

Scanned by CamScanner

मामले, प्रवासी भारतीय मामले, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, पर्यटन एवं संस्कृति, जल संसाधन, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम, कम्पनी मामले, विज्ञान एवं प्रौद्योगिरी, श्रम एवं रोजगार महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग यू एण्ड रिन्यूएबल एजर्नी, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, सांख्यकी कार्यक्रम कार्यान्वयन आदि मंत्रालयों विभागों अनुभागों कार्यालयों का कार्य उनके द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता एवं सहयोग से करना, कराना।

7. कोई भी संस्था, समिति, संस्थान, परिषद, ट्रस्ट, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार सहित भारत के अन्य प्रदेशों का कोई मंत्रालय विभाग या देश, विदेश के कोई भी राष्ट्र अपना कोई विभाग, अस्पताल, पाठशाला, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्थान केन्द्र, किसी भी क्षेत्र की कार्यक्रम इकाई, कार्यालय, धार्मिक स्थल, मन्दिर, आश्रम, चल अचल सम्पत्ति कल्याणकारी कार्य आदि इस ट्रस्ट को प्रदान करते हैं तो यह ट्रस्ट उसे स्वेच्छा से लेकर, अपने में समाहित कर अपने अनुसार उसकी स्थापना, संचालन, प्रबन्ध करेगी।

8. गौशालाओं का निर्माण एवं बेसहारा गायों की सेवा उनकी देखरेख और उसके आधार पर लोगों को जागरूक करना तथा लोकहित हेतु वैकल्पिक उपचार की विधियों से लोगों को लाभ पहुंचाना एवं शिक्षित करना व प्रचार प्रसार करना व राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रचार एवं प्रसार करना।

9. मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा एवं चर्च के जीर्णोधार हेतु, देखभाल एवं सुरक्षा हेतु उपरोक्त ट्रस्ट का गठन करना भी ट्रस्ट के उद्देश्यों में समाहित है। हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख एवं इसाई धर्म दर्शन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार एवं प्रसार करना।

10. स्वयं सहायता समूह का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर कर महिलाओं का विकास करना एवं उन्हें जागरूक तथा शिक्षित बनाना।

11. राष्ट्रीय भाषा का प्रचार एवं प्रसार करना।

12. कलाकारों का निर्माण, उनकी कार्यशाला एवं नाटक व नृत्य संगीत के क्षेत्र में कार्य करना।

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

Scanned by CamScanner

13. भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना एवं पर्यावरण संरक्षण युवा संरक्षण का कार्य करना।

14. जन-कल्याण की भावना से समय-समय पर शिक्षा, विधिक, चिकित्सा व जागरूकता की दृष्टि से शिविर आयोजित करना।

15. समय-समय पर भण्डारा करना व पौशाला आदि की व्यवस्था करना।

16. सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा जन-मानस को पारस्परिक कला से परिचय कराना।

17. शहीदों के बलिदान का प्रचार-प्रसार करना, देश भक्ति भावना को जागृत करना।

18. वृद्धों के लिये वृद्धा आश्रम का निर्माण करना तथा उनकी देखभाल करना।

19. सभी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय के कल्याण के लिये कार्य करना।

20. समाज के मूक बधिर, विकलांग, नेत्रहीन कुष्ठ रोगी बच्चों की शिक्षा तथा निराश्रित विधवाओं, वृद्ध पुरूष, महिलाओं बच्चों एवं कामकाजी महिलाओं हेतु देख-रेख गृहों छात्रावासों आदि की स्थापना प्रबन्ध व संचालन करना। केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा ग्राम विकास की सभी योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु सहायता प्राप्त करना।

21. समाज के सभी वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचिज जनजाति, पिछड़े वर्ग व सवर्ण जाति के लोगों के लिये कल्याणार्थ उनके स्वास्थ को सुरक्षित रखने की दृष्टि से चिकित्सालय व्यायामशालाओं योग शिक्षा, प्राकृतिक चिकित्सा शोध केन्द्रों एड्स नियंत्रण केन्द्र विभिन्न बीमारियों के सम्बन्धित चिकित्सालयों की स्थापना प्रबन्ध व संचालन करना। नशा उन्मूलन हेतु ड्रग एडिक्ट सेन्टर की स्थापना व संचालन करना व मादक द्रव्यों के सेवन तथा अन्य सामाजिक अपराधों में लिप्त लोगों के सुधार हेतु सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन संचालन करना एवं योग व आसन के माध्यम से चिकित्सा सेवा करना।

22. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार प्रदर्शनी एवं चिकित्सा शिविरों का आयोजन, सामुदायिक केन्द्रों, पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण विषयक सरकार के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार एवं संचालन करना।

संतोष पाण्डेय

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

Scanned by CamScanner

समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीणं विकास हेतु शिक्षा एवं सृजन सम्बन्धी कार्यक्रमों को संचालित करना। राष्ट्रीय एकीकरण की भावना जागृति करना हेतु कायक्रमों का संचालन तथा दैवी आपदाओं के समय राहत कार्य करना।

23. कृषकों, कृषि तथा ऊसर सुधार हेतु रचनात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, गांव में पेयजल, शौचालय तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिये भवनों का निर्माण, शिल्पकारों, दस्तकारों को मार्गदर्शन देकर आत्म विश्वास एवं स्वावलम्बन की भावना जागृत करना। ट्रस्ट द्वारा स्वयं या सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों की सहायता से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की उत्पादन एवं खोज करना, शोध करना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। सेक्टर रिफार्मस योजना के अन्तर्गत जलनिधि योजनान्तर्गत जन सहभागिता के आधार पर जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन।

24. उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों के लोहिया ग्राम विकास/अम्बेडकर ग्राम विकास, अतिरिक्त उर्जा स्त्रोत, अल्प संख्यक कल्याण, वक्फ, आबकारी, आवास एवं शहरी नियोजन, आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्यौपैथी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, उर्जा, औद्योगिक विकास, लघु उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन, कृषि, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कारागार प्रशासन एवं सुधार, कार्यक्रम क्रियान्वयन, खाद्य एव रसद, खादी एवं ग्रामोद्योग, खेलकूद, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, ग्राम्य विकास, स्वजल धारा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, दुग्ध विकास, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय, नियोजन, निर्वाचन, पर्यावरण, परिवार कल्याण, परिवहन, पशुधन, गोसेवा, पशुपालन, पर्यटन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, पंचायतीराज, भाषा, भूतत्व एवं खनिजकर्म, मुद्रण, लेखन, भूमि, विकास एवं जल संसाधन, मत्स्य, महिला कल्याण, महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, बाल विकास एवं पुष्टाहार युवा कल्याण राजस्व अभाव एवं देवी

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

Scanned by CamScanner

आपदा राहत, राज्य सम्पत्ति, राष्ट्रीय एकीकरण, रेशम, लघु सिंचाई, लोक निर्माण, वन, वस्त्रोद्योग एवं हथकरघा, वाह्य सहायतित परियोजनाएं, वित्त, विज्ञान प्रौद्योगिकी, विकलांग कल्याण, समाज कल्याण सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स सूचना एवं जन सम्पर्क संस्कृति संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन, शिक्षा, श्रम, आदि विभागों अनुभागों कार्यालयों का कार्य उनके द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता एवं सहयोग से करना, कराना।

25. उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड एवं अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड/केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, कपार्ट, सिप्सा, डिप्सा, आबार्ड, नवार्ड, सिडवी, यूनीसेफ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय एवं देश के सभी प्रदेशों एवं भारत सरकार के सभी विभागों के कार्यक्रम का उनकी सहायता से संचालन करना व ग्रामीण विकास परियोजनाओं का प्रचार प्रसार कर जन कल्याणार्थ कार्य करना। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, विश्व बैंक व विदेशों की सहायता से उनकी ऐसी योजनाएं जो जन-कल्याणकारी हो, को संचालित करना एवं प्रचार प्रसार करना।

26. जन सामान्य के शैक्षिक, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक विकास के कार्य करना तथा पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।

27. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करना अथवा प्रदान करना। विधि सम्मत जानकारी का प्रचार प्रसार करना।

28. अन्य कोई कार्य जो राष्ट्र हित में हो।

29. उपरोक्त प्रकार के कार्य संपादन करने वाली सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं एवम् संस्थानों से सहयोग प्राप्त करना एवं सहयोग देना।

Anand — सन्तोष पाण्डेय

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

Scanned by CamScanner

30. ट्रस्ट के माध्यम से लघु उद्योग, उद्योग, खाद्य पदार्थ, पेयजल, पेय पदार्थ, उद्योग का संचालन करना तथा उससे प्राप्त आय को ट्रस्ट के द्वारा जनहित एवं राष्ट्र हित में लगाना तथा लोगों को रोजगार प्रदान करना, उद्योग संचालन हेतु किसी भी राष्ट्रीय बैंक, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, अप्रवासीय भारतीयों द्वारा ऋण या दान प्राप्त करना।

31. ट्रस्ट के माध्यम से गरीब से गरीब परिवारों को निशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध करना एवं एम्बुलेन्स की निशुल्क व्यवस्था कराना।

32. सामुदायिक स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, योगा आसन, रैकी, होम्योपैथ, आयुर्वेद तथा स्पर्श, जल चिकित्सा को बढ़ावा देना।

33. शिक्षित बेरोजगारों के लिये व्यवसायिक एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।

34. सर्वधर्म सद्‌भाव आस्तिकता व मानव समाज में सदाचार शिक्षा स्वास्थ्य तथा आदर्श गुणों की स्थापना हेतु आश्रमों की स्थापना एवं अध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में कार्य करना।

35. ट्रस्ट के माध्यम से समय-समय पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन कराना तथा ट्रस्ट के माध्यम से गरीब लोगों की चिकित्सा के लिये हास्पिटलों का निर्माण एवं संचालन करना एवं सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना।

<u>न्यास के धन का विनियोग :-</u>

1. न्यास के धन का विनियोग आयकर अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

2. दान में चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना, न्यास कार्य हेतु सम्पत्ति का हस्तान्तरण करना, विनिमय करना।

3. सभी प्रकार के अनुदान उपरोक्त उद्‌देश्यों के लिये समर्पित है।

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

Scanned by CamScanner

**न्यासी मण्डल का गठन :-**

न्यास का संस्थापक सदस्य हम (डा० अमरेश एवं डा० संतोष पाण्डेय) स्वयं रहेंगे। हमारे अतिरिक्त 3 (तीन) अन्य सदस्यों का न्यास मण्डल होगा जिसमें न्यास के आजीवन सदस्य ही हो सकते हैं। न्यास मण्डल के सदस्यों में ही एक प्रबन्ध न्यास मण्डल बनेगा जो कि न्यास के प्रबन्धन का कार्य करेंगे।

हमारे द्वारा आजीवन सदस्यों में से 5 (पांच) लोगों को प्रबन्ध न्यास मण्डल में नियुक्त किया जायेगा। इनमें संस्थापक सदस्य भी उपरोक्त पदों पर रह सकते हैं या इनकी इच्छानुसार प्रबन्ध न्यास मण्डल में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महामंत्री, एक कोषाध्यक्ष व अन्य कार्यकारिणी सदस्य होगें। प्रबन्ध मण्डल को प्रबन्ध कार्यकारिणी भी कहा जा सकता है। ट्रस्टी प्रबंध समिति में न्यास के बाहर से भी यदि आवश्यकता हो तो सदस्यों को सम्मिलित कर सकता है।

**न्यासी के सदस्य :-**

न्यास के कार्य का विस्तार करने हेतु व सहयोगी बन्धुओं को न्यास से जुड़ने हेतु न्यास सदस्य भी बनायेगा। संस्थापक सदस्यों के अतिरिक्त न्यास में दो प्रकार के सदस्य होगें।

**(1) आजीवन सदस्य :-**

जो व्यक्ति न्यास के विस्तार हेतु 500/- रूपये या इतने मूल्य की सम्पत्ति निःस्वार्थ भाव से देगा वह न्यास का आजीवन सदस्य होगा।

**(2) सामान्य सदस्य :-**

जो व्यक्ति न्यास के उद्देश्यों में आस्था रखते होगें तथा न्यास के विकास हेतु 250/- रूपये वार्षिक शुल्क का भुगतान करेगें। यह ट्रस्ट का सामान्य सदस्य होगा।

**साधारण सभा :-**

साधारण सभा का गठन संस्थापक सदस्य, आजीवन सदस्य और सामान्य सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

Amresh                संतोष पाण्डेय

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

Scanned by CamScanner

न्यास के संस्थापक सदस्य के नाम, व पदनाम निम्नलिखित हैं, जिनका विस्तृत विवरण ट्रस्टी के पास मौजूद है :-

| | |
|---|---|
| डा० अमरेश गुप्ता | संस्थापक न्यासी |
| डा० संतोष पाण्डेय | संस्थापक न्यासी |
| श्रीमती सारिका गुप्ता | सचिव |
| श्रीमती रीना पाण्डेय | कोषाध्यक्ष |
| श्री श्रीकान्त पाण्डेय | सदस्य |

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

संस्थापक सदस्य :- इस न्यास के संस्थापक सदस्य डा० अमरेश गुप्ता एवं डा० संतोष पाण्डेय हैं। वे आजीवन संस्थापक सदस्य के पद पर बने रहेगें। प्रबन्धक कार्यकारिणी के चुनाव कराने की जिम्मेदारी इन पर रहेगी। न्यास का संरक्षक मण्डल बनाने में अपनी सलाह देगें। प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा पारित निर्णयों को अन्तिम स्वीकृति संस्थापक सदस्य द्वारा किया जायेगा तथा न्यास में सभी प्रकार के वैतनिक, अवैतनिक व्यक्ति की नियुक्ति, पदोन्नति, निष्कासन, पात्रता का निर्धारण करने का अधिकार न्यासी को होगा। न्यास मण्डल में कुल न्यासियों व सदस्यों की संख्या को बढ़ाने व घटाने का अधिकार संस्थापक न्यासियों को होगा। न्यास मण्डल का समस्त कार्य व्यवहार सर्वसम्मति से होगा तथा अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार संस्थापक न्यासियों को होगा। संस्थापक न्यासियों का निर्णय सर्वमान्य होगा। न्यास के संविधान में परिवर्तन/संशोधन का अधिकार संस्थापक न्यासियों, न्यास मण्डल को होगा। न्यास में संशोधन एवं हर प्रकार के निर्णय न्यास के कार्यवाही रजिस्टर पर दर्ज की जायेगी। न्यासियों को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी बैंक, संस्थान या व्यक्ति से ट्रस्ट की सम्पत्ति के सापेक्ष या सम्पत्ति को गिरवी रखकर ट्रस्ट के उद्देश के लिए लोन ले सकते हैं। किसी भी दशा में ट्रस्ट के घाटे के लिए व्यक्तिगत रूप से न्यासी जिम्मेदार नहीं होगा जब तक कि वह स्वंय किसी धोखे, फ्राड या अन्य आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित ना हो।

संतोष पाण्डेय

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

Scanned by CamScanner

प्रबन्ध कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 वर्ष रहेगा :-

अध्यक्ष/प्रबन्ध ट्रस्टी :-

1. न्यास के प्रबन्ध कार्यकारिणी का प्रधान अध्यक्ष रहेगा।
2. सभी प्रकार की अध्यक्षता करना।
3. बैंठकों के लिये दिनांकों को अनुमोदन करना।
4. ट्रस्ट द्वारा स्वीकृति बिलों के भुगतान हेतु धन आहरित करना।
5. न्यास के संस्थापक सदस्यों की सलाह से अध्यक्ष न्यास का संरक्षक मण्डल गठित करेगा।

उपाध्यक्ष/सहायक प्रबन्ध ट्रस्टी :-

1. अध्यक्ष के समस्त कार्यो में सहयोग करना एवं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त कार्यों की देखरेख करना।

सचिव/प्रबन्धक :-

1. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
2. समस्त बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना।
3. बैंठकों की कार्यवाही लिपिवद्ध करना।
4. संस्था के समस्त पत्र व्यवहार करना।
5. समिति की स्वीकृति की प्राप्ति पर आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।
6. सदस्यों का नाम रजिस्टर में लिखना।
7. ट्रस्ट/संस्था के विकास में पूर्ण सहयोग करना।

महासचिव की अनुपस्थिति में उक्त सभी कार्य उप सचिव/कोषाध्यक्ष की देख-रेख में निष्पादित किये जायेगें तथा महासचिव के कार्यो में सहयोग करेगें।

उप सचिव/कोषाध्यक्ष :-

1. ट्रस्ट की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
2. बैंठकों की सूचना देना।
3. ट्रस्ट की तरफ से समस्त कानूनी कार्यवाही सम्पन्न कराना।
4. समस्त बिलों पर हस्ताक्षर करना व अनुमोदित भुगतान करना।

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

Scanned by CamScanner

5. ट्रस्ट के प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा पारित निर्णयों का क्रियान्वयन करना।
6. सदस्यों की सदस्यता स्वीकृति करना। सदस्यों के पागल या दिवालिया हो जाने पर सदस्यता समाप्त करना।
7. समस्त लेखों पर हस्ताक्षर करना।
8. वार्षिक बैठक में आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना।
9. न्यास के कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों/सहयोगियों की नियुक्ति या निष्कासन करना जिसमें संस्थापक सदस्यों की सहमति अनिवार्य होगी। महामंत्री की अनुपस्थिति में उक्त सभी कार्य उप-मंत्री की देख-रेख में निष्पादित किये जायेगें तथा महामंत्री के कार्यों में सहयोग करेगें।

1. आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना।
2. न्यास संचालन हेतु कोष का प्रबन्ध करना।
3. कोष स्रोतों को बैठक में प्रस्तुत करना।
4. न्यास के लिये दान-चन्दा प्राप्त करना व रसीद देना।

<u>कार्यकारिणी सदस्य :-</u>

1. प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक में अपना मत रखना। न्यास के नीति निर्धारक फैसलों में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
2. न्यास के हित में फैसले पारित कराना।

<u>निम्नलिखित स्थिति में किसी एक या अधिक कारणों से न्यासी का गठन किया जायेगा:-</u>

1. न्यासियों की मृत्यु की दशा में न्यासी की पत्नी न्यास में मृतक न्यासी का स्थान लेगी। यदि पत्नी के ना होने की दशा में उस तारीख से परिवार का सबसे बड़ा पुत्र न्यासी का स्थान लेगा। यदि परिवार में कोई पुत्र नहीं होगा तो उस स्थिति में न्यासी के परिवार की पुत्री न्यासी का स्थान लेगी।
2. उपरोक्त न्यासियों के किसी एक परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तो न्यासी के रक्त सम्बन्धी न्यासी होंगे।

संतोष पाण्डेय

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

Scanned by CamScanner

3. न्यास की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना, ट्रस्ट सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना या दुरूपयोग या गबन करने पर।

4. न्यायालय द्वारा दण्डित, दिवालिया घोषित या अपराध प्रवृत्ति अथवा कानून की दृष्टि में इकरार करने के अयोग्य हो जाने पर।

5. बिना कारण बताये लगातार तीन मीटिंग में अनुपस्थित रहने पर।

6. कार्यकाल पूरा होने पर।

किसी भी ट्रस्टी के उपरोक्त कारणों से हटने पर उसके रिक्त स्थान की पूर्ति न्यासी मण्डल तीन माह के अन्दर 2/3 बहुमत से कर सकेगा। किन्तु इसके लिए संस्थापक सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

न्यास के किसी पदाधिकारी द्वारा न्यास के उद्‌देश्यों के विपरीत आचरण कार्य किया जाता है तो वह विषय प्रबन्ध कार्यकारिणी के समक्ष रखा जायेगा। यदि बैठक में प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा यह निर्णय पारित होता है कि उक्त पदाधिकारी ने गलत आचरण किया है तो उसको पद मुक्त किया जायेगा। इसके लिए भी अन्तिमं निर्णय न्यासियों द्वारा किया जायेगा।

**न्यास की प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक :-**

प्रत्येक माह में एक बार होगी। आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है।

**साधारण सभा की बैठक :-**

वर्ष में एक बार साधारण सभा की बैठक होगी। आवश्यकता पड़ने पर वर्ष में एक से अधिक बैठकें भी आयोजित की जा सकती हैं।

**सूचना अवधि :-**

वार्षिक बैठक की सूचना कम से कम 21 दिन पूर्व एवं साधारण बैठक की सूचना कम से कम सात दिन पूर्व सभी न्यासियों को दी जानी अनिवार्य है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में बैठक को अल्पावधि सूचना द्वारा भी बुलाया जा सकता है।

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

Scanned by CamScanner

न्यास पत्र

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 500 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 280

श्री डॉ0 अमरेश ,
पुत्र श्री स्व0 वेद प्रकाश गुप्ता
व्यवसाय : अन्य
निवासी: 2/58, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनॉंक 28/07/2018 एवं 03:48:37 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सन्तराम यादव प्रभारी
उप निबंधक :सदर द्वितीय
लखनऊ
28/07/2018

राम सागर त्रिपाठी त्रिपाठी
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

प्रिंट करें

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI



Scanned by CamScanner

कोरम / गणपूर्ति :-

प्रबन्ध कार्यकारिणी की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों की बैठक में प्रबन्ध कार्यकारिणी की कुल न्यासियों की संख्या का 1/3 से अधिक होना चाहिए। बैठक में कोई भी प्रस्ताव रखने के लिए संस्थापक सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होगी।

न्यास का कोष :-

(1) न्यास के कोष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक / डाकघर में खाता खोला जायेगा जो सुविधानुसार एक से अधिक बैंक या डाकघर में भी हो सकता है तथा खाते का संचालन दोनों न्यासियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

3. दैनिक आवश्यकताओं के लिए ट्रस्ट मुख्य खाते के अतिरिक्त आवश्कतानुसार एक बैंक खाता और खोलेगा जिसका संचालन दोनों न्यासियों द्वारा किया जायेगा।

4. न्यास की स्थाई निधि और इससे प्राप्त ब्याज को राष्ट्रीय बैंक अथवा डाकघर के अतिरिक्त किसी भी साहूकार, हुण्डी, शेयर बाजार, म्युचुअल फण्ड आदि योजना में लगाने का अधिकार किसी को नहीं होगा।

न्यास के लेख परीक्षण :-

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये न्यास के आय-व्यय का हिसाब चाटर्ड एकाउण्टेंट द्वारा ऑडिट कराया जायेगा और इसकी पुष्टि हर वर्ष बैठकों में की जायेगी।

कानूनी कार्यवाही :-

न्यास के सभी कानूनी कार्य का निर्णय करने का अधिकार संस्थापक न्यासियों को होगा। कृत कार्यवाहियों से प्रबन्ध कार्यकारिणी को अवगत कराना आवश्यक है। कानूनी क्षेत्र लखनऊ होगा।

न्यास के अभिलेख :-

आय-व्यय की लेखा पुस्तिका रखी जायेंगी। सदस्यता रजिस्टर/कार्यवाही रजिस्टर/स्टाक रजिस्टर (लेजर व कैशबुक) रखे जायेगें। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च का आय व्यय का लेखा तथा चिट्ठा किया जायेगा।

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

Scanned by CamScanner

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री डॉ0 अमरेश, पुत्र श्री डा0 वेद प्रकाश गुप्ता

निवासी: 2/58, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

न्यासी 2: 1

श्री डॉ0 संतोष पाण्डेय, पुत्र श्री श्रीकान्त पाण्डेय

निवासी: 3/254, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

व्यवसाय: शिक्षक

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अरुण सिंह यादव, पुत्र श्री जगमोहन लाल यादव

निवासी: 492, आवास विकास कॉलोनी, खीरी रोड, लखीमपुर

व्यवसाय: अध्यापक

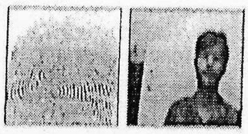

पहचानकर्ता : 2

श्री सतीश तिवारी, पुत्र श्री दिवाकर प्रसाद तिवारी

निवासी: 3/34, विकन्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

व्यवसाय: शिक्षक

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सन्तराम यादव प्रभारी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
लखनऊ

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

राम सागर त्रिपाठी (पुनः)
कनिष्ठ सहायक(निबन्धन) - निबंधित

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI





Scanned by CamScanner

**न्यास का विघटन तथा उसके पश्चात न्यास की सम्पत्ति का निस्तारण :-**

न्यास कभी विघटित नहीं होगी। यदि किसी कारणवश अथवा परिस्थितिवश न्यासी मण्डल द्वारा न्यास का विघटन करने का निश्चय किया जाता है तो यह निर्णय न्यासी मण्डल के 3/4 बहुमत से हो सकेगा। इससे संदर्भित कोई भी प्रस्ताव संस्थापक न्यासियों की सहमति के बिना नहीं पारित किया जायेगा। पुष्टि होने पर न्यास की सम्पत्ति समान उद्देश्य वाले ट्रस्ट को हस्तान्तरित की जायेगी। यह किसी भी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से न्यास के न्यासियों को नहीं दी जायेगी।

न्यास की सम्पत्ति का प्रयोग/दुरूपयोग कोई भी न्यासी निजी तौर पर अपने सगे सम्बन्धियों के लिये नहीं कर सकेगा। न्यास पर किसी भी न्यासी / ट्रस्टी, संरक्षक मण्डल के सदस्यों, संस्थापक सदस्यों या सभी प्रकार के सदस्यों के व्यक्तिगत कर्ज एवं अन्य प्रकार के ऋणों की अदायगी की जिम्मेदारी नहीं होगी।

हम एतद्द्वारा साक्षीगण की उपस्थिति में नीचे अपने हस्ताक्षर कर इस न्यास विलेख का निष्पादन करते हैं।

लखनऊ/ 28.07.2018ई0

गवाहान :-

1. अरूण सिंह यादव
पुत्र श्री जगमोहन लाल यादव
पता-492, आवास विकास
कालोनी खीरी रोड, लखीमपुर

हस्ताक्षर

2. सलिल तिवारी
पुत्र श्री दिवाकर प्रसाद तिवारी
पता-3/34, विक्रान्त खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

टाईपकर्ता :-
(मोनिस फरीद)

मसविद्राकर्ता :-
(एफ0 एम0)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, लखनऊ

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

Scanned by CamScanner

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 464 के पृष्ठ 323 से 352 तक क्रमांक 509 पर दिनाँक 28/07/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सन्तराम यादव प्रभारी

उप निबंधक : सदर द्वितीय

लखनऊ

28/07/2018

प्रिंट करें

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI



Scanned by CamScanner